दिनांक:30.04.2024

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना सदर बाजार पुलिस द्वारा हत्या के प्रयास का 01 वांछित अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से घटना में प्रयुक्त 02 अवैध पिस्टल 32 बोर मय 02 जिंदा कारतूस व 01 स्कूटी बरामद

अवगत कराना है कि दिनाँक 24.04.2024 को वादी ईश्वरपाल पुत्र मामराज नि0 चान्दनपुर थाना रामपुर मनिहारन जनपद सहारनपुर मो0न0 9758752997 द्वारा थाना सदर बाजार पर मु0अ0स0 231/024 धारा 307/504/506/34/384 भादवि भादवि बाबत 1. नीशू शर्मा पुत्र प्रदीप शर्मा नि0 प्रकाश लोक मुर्गा फार्म के बराबर गली लेबर कालौनी थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर 2. कर्ण पुत्र राकेश नि0 लक्कड माजरा सर्किट हाउस थाना सदर बाजार जनपद सहारनपुर द्वारा वादी के पुत्र विपिन के साथ पैसे के लेनदेन को लेकर झगडा कर गाँली गलौच कर जान से मारने की नियत से गोली मारने को लेकर दि. 24.4.2024 को थाना स्थानीय पर पंजीकृत कराया था। जिसमे अभि0 नीशू शर्मा उपरोक्त को दिनांक 21.4.2024 को मय एक CMP कारतूस के गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है जिसके आधार पर अभियोग मे धारा 3/25/27 ए एक्ट की वृद्धि की जा चुकी है।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर सहारनपुर द्वारा उपरोक्त घटना का संज्ञान लेकर वांछित अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु दिशा-निर्देश दिए, जिसके अनुपालन में पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी नगर द्वितीय के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री संतोष कुमार त्यागी के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 30.04.2024 को थाना सदर बाजार पुलिस टीम द्वारा मुखबिर की सूचना पर मुकदमा उपरोक्त में वांछित अभियुक्त **1.कर्ण पुत्र राकेश नि0 लक्कड माजरा सर्किट हाउस थाना सदर बाजार जनपद सहारनपुर** को मय दो पिस्टल 32 बोर व दो जिन्दा कारतूस 32 बोर व घटना मे प्रयुक्त एक स्कूटी के साथ गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

विवरण पूछताछ- पूछताछ करने पर गिरफ्तार अभियुक्त **कर्ण पुत्र राकेश नि0 लक्कड माजरा सर्किट हाउस थाना सदर बाजार जनपद सहारनपुर** ने बताया कि दिनांक 21.4.2024 को मै अपने दोस्त से यह स्कूटी मागकर लाया था तथा उसी दिन नीशू शर्मा पुत्र प्रदीप शर्मा नि0 प्रकाश लोक मुर्गा फार्म के बराबर गली लेबर कालौनी थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर मेरे घर के पास मिला था और उसने बताया कि मुझे कोई गाली देकर चला गया है तुझे मेरे साथ JV JAIN COLLEGE तक स्कूटी लेकर चलना है नीशू पण्डित के पास दो पिस्टल व एक तमन्चा था नीशू पण्डित ने एक पिस्टल मुझे दे दी थी व एक पिस्टल व एक तमन्चा नीशू के पास था नीशू पण्डित ने कहा था कि मेरे दोनो हाथो मे अस्लाह होगे जब जरूरत पडेगी तो तुम पिस्टल लोड कर देना हम दोनो JV JAIN COLLEGE पर पहुँचे तो वहाँ दो लडके मिले जिन्हे नीशू पण्डित जानता था जिनकी नीशू पण्डित से कहा सुनी होने लगी कहा सुनी को बढता देख नीशू पण्डित ने अपने हाथ मे ली पिस्टल को मुझसे लोड करने के लिये कहा तो मैने पिस्टल लोड कर नीशू पण्डित को दे दी। नीशू पण्डित ने अपने हाथ मे लिये तमन्चे से विपिन उर्फ बन्टी नाम के लडके के उपर फायर कर दिया

जिससे उसके पेट मे गोली लग गई हम दोनो स्कूटी से मौके से भाग गये बाद मे रास्ते मे नीशू ने अपने हाथ मे ली हुई पिस्टल भी मुझे दे दी और कहा कि मुझे मोहन पाड्ये अस्पताल के पास छोड दे और दोनो पिस्टलो को अपने पास छोड देना जो पिस्टल आज मुझ से बरामद हुई है यह वही दोनो पिस्टल है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता –

कर्ण पुत्र राकेश नि0 लक्कड माजरा सर्किट हाउस थाना सदर बाजार जनपद सहारनपुर।

अभियुक्त कर्ण का आपराधिक इतिहासः-

मु0अ0स0 231/24 धारा 307/504/506/34/384 भादवि व 3/25/27 ए एक्ट थाना सदर बाजार स0पुर।

बरामदगी का विवरण –

- 02 पिस्टल .32 बोर
- 02 जिन्दा कारतूस .32 बोर
- 01 स्कूटी रंग सफेद (घटना मे प्रयुक्त)

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम–

1. प्र0नि0 संतोष कुमार त्यागी थाना सदर बाजार जिला सहारनपुर
1. उ0नि0 श्री शंशाक गिरि थाना सदर बाजार जिला सहारनपुर।
2. है0का0 850 सचिन चौधरी थाना सदर बाजार जिला सहारनपुर।
3. है0का0 232 सचिन शर्मा थाना सदर बाजार सहारनपुर।

दिनांक: 30.04.2024

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना नानौता, सहारनपुर पुलिस द्वारा 01 शातिर नशा तस्कर गिरफ्तार, कब्जे से 20 फ्रूटी अवैध देशी शराब बरामद।

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में जनपद में अपराध नियंत्रण हेतु अवैध मादक पदार्थ एवं शराब की तस्करी करने वाले अभियुक्तों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में आपराधिक घटनाओं की रोकथाम व वांछित/वारण्टी अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी गंगोह के निकट पर्यवेक्षण में तथा थाना प्रभारी श्री अमित कुमार के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 30.04.2024 को चैकिंग के दौरान थाना नानौता पुलिस टीम एक शराब तस्कर अभियुक्त **शिवकुमार पुत्र दीपचन्द निवासी ग्राम अनन्तमऊ थाना नानौता जनपद सहारनपुर** को हमामपुर नहर के पास से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के कब्जे से अवैध 20 फ्रूटी देशी शराब बरामद हुई । गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर थाना नानौता पर मु0अ0स0 104/24 धारा 60 आबकारी अधि0 पंजीकृत किया गया। अभियुक्त के विरूद्ध विधिक कार्यवाही करते हुए माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पताः-

शिवकुमार पुत्र दीपचन्द निवासी ग्राम अनन्तमऊ थाना नानौता जनपद सहारनपुर

बरामदगी का विवरणः-

20 फ्रूटी देशी शराब

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

1. उ0नि0 जयवीर सिंह थाना नानौता जनपद सहारनपुर
2. HC 118 विपुल कुमार थाना नानौता जनपद सहारनपुर

-प्रेस नोट-

दिनांक- 30.04.2024

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर उत्तर प्रदेश

थाना चिलकाना, सहारनपुर पुलिस द्वारा 01 शातिर अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से 01 देशी तमन्चा व 01 जिन्दा कारतूस 315 बोर बरामद।

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में जनपद में अपराध नियन्त्रण, अवैध अस्लाह की तस्करी की रोकथाम एवं इसमें संलिप्त अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी सदर के निकट पर्यवेक्षण में तथा थानाध्यक्ष श्री कपिल देव के कुशल नेतृत्व मे थाना चिलकाना पुलिस द्वारा 01 अभियुक्त **एजाद पुत्र यूसूफ निवासी मौहल्ला मजहर हसन कस्बा व थाना चिलकाना सहारनपुर** को आज दिनाकं 30.04.2024 को कच्चा पक्का रोड दुमझेडा की तरफ संडक से 01 देशी तमन्चा व 01 जिन्दा कारतूस 315 बोर के साथ गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरूध थाना चिलकना पर **मु0अ0स0 103/24 धारा 3/25 शस्त्र अधिनियम** पंजीकृत किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त एजाद उपरोक्त के विरूद्व अन्य आवश्यक कार्यवाही करते हुए समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

पूछताछ पर अभियुक्त एजाद उपरोक्त ने बताया कि मै यह तमंचा अपने गांव के लोगो व अपने दोस्तों में रोब जमाने के लिए तमन्चा रखता हूँ। मैने यह तमन्चा आने जाने वाले एक ड्राईवर से खरीदा था, जिसका नाम पता मै नही जानता हूं।

गिरफ्तार अभियुक्तका नाम पता:-

एजाद पुत्र यूसूफ निवासी मौहल्ला मजहर हसन कस्बा व थाना चिलकाना सहारनपुर।

आपराधिक इतिहासः-

- मु0अ0सं0 339/15 धारा 380/411 भादवि थाना चिलकाना सहारनपुर।
- मु0अ0सं0 567/19 धारा 380/411 भादवि थाना चिलकाना सहारनपुर।
- मु0अ0सं0 162/20 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट थाना चिलकाना सहारनपुर।
- मु0अ0सं0 119/22 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना चिलकाना सहारनपुर।
- मु0अ0सं0 295/22 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना चिलकाना सहारनपुर।

बरामदगी का विवरण-

- 01 देशी तमन्चा 315 बोर
- 01 जिन्दा कारतूस 315 बोर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस पार्टी का नाम:

1. उ0नि0 करन नागर थाना चिलकाना जनपद सहारनपुर।
2. है0का0 246 हेमन्त सिंह थाना चिलकाना सहारनपुर।

दिनांकः 30.04.2024

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना रामपुर मनिहारान, सहारनपुर पुलिस द्वारा 01 वांछित अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार।

अवगत कराना है कि दिनांक 26.04.2024 को वादी ने उपस्थित थाना आकर एक लिखित तहरीर बाबत अभियुक्त **गौरव पुत्र नेशू निवासी ग्राम सम्भलहेड़ी थाना रामपुर मनिहारान जिला सहारनपुर** द्वारा वादी की नाबालिग पुत्री को बहला फुसलाकर भगा ले जाने के सम्बन्ध में **मु0अ0सं0 127/24 धारा 363 भादंवि** पंजीकृत कराया।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर द्वारा उपरोक्त घटना का तत्काल सज्ञान लेकर अपहृता की सकुशल बरामदगी एवं नामजद वांछित अभियुक्त की शीघ्र गिरफ्तारी हेतु अभियान चलाने हेतु सम्बन्धित को आदेश निर्देश दिये गये, जिसके अनुपालन में पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी नकुड़ के निकट पर्यवेक्षण मे तथा प्रभारी निरीक्षक रामपुर मनिहारान के कुशल नेतृत्व मे आज दिनांक 30.04.24 को मुखबिर की सूचना पर थाना रामपुर मनिहारान पुलिस टीम द्वारा मुकदमा उपरोक्त मे वांछित अभियुक्त गौरव उपरोक्त को दिल्ली सहारनपुर रोड चुन्हैटी अन्डरपास से गिरफ्तार किया एवं अपहृता को सकुशल बरामद किया गया । अभियोग में पीड़िता के धारा 161 सीआरपीसी बयान के आधार धारा 376 भादंवि व 3/4 पोक्सो अधिनियम की वृद्धि की गयी। अभियुक्त के विरूद्ध अन्य विधिक कार्यवाही करते हुए समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पताः-

गौरव पुत्र नेशू निवासी ग्राम सम्भलहेड़ी थाना रामपुर मनिहारान जिला सहारनपुर।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

1. उप नि0 श्री आनन्द पाल थाना रामपुर मनिहारान सहारनपुर
2. म0उ0नि0 रुचि रानी थाना रामपुर मनिहारान सहारनपुर
3. म0का0 1798 अन्तिम थाना रामपुर मनिहारान जिला सहारनपुर

दिनांकः 30-04-2024

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना बेहट पुलिस द्वारा अवैध चाकू के साथ एक अभियुक्त को किया गिरफ्तार

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन मे अपराध नियन्त्रण /मादक पदार्थो व अवैध शस्त्रों की तस्करी की रोकथाम एवं इसमें संलिप्त अपराधियों की गिरफ्तारी हेतू चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी बेहट के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक बेहट श्री योगेश शर्मा के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 30.04.2024 को चैकिंग के दौरान थाना बेहट पुलिस टीम द्वारा 01 शातिर अभियुक्त **जहाँगीर उर्फ फरीद पुत्र अब्दुल खालिद निवासी सडकपार कस्बा व थाना बेहट जनपद सहारनपुर** को जसमौर रोड स्थित बेलका पावर हाऊस के पास से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से एक चाकू नाजायज बरामद हुआ। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर थाना बेहट पर **मु0अ0स0-139/2024 धारा-4/25 आर्म्स एक्ट** पंजीकृत किया गया। अभियुक्त उपरोक्त के विरूद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही करते हुए समय से माननी न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

पूछताछ करने पर गिरफ्तार अभियुक्त जहाँगीर उर्फ फरीद उपरोक्त ने पूछताछ करने पर बताया कि यह चाकू मै लोगो को डराने के लिए अपने पास रखता हूं।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पताः-

जहाँगीर उर्फ फरीद पुत्र अब्दुल खालिद निवासी सडकपार कस्बा व थाना-बेहट जनपद-सहारनपुर।

बरामदगीः-

एक चाकू नाजायज

अभियुक्त का आपराधिक इतिहासः-

मु0अ0सं0 148/23 धारा 60 आबकारी अधिनियम थाना बेहट जिला सहारनपुर।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस पार्टी का नामः-

1.प्रभारी निरीक्षक श्री योगेश शर्मा थाना कोतवाली बेहट जनपद सहारनपुर

2.है0का0 174 अजयवीर सिंह थाना कोतवाली बेहट जनपद सहारनपुर

3. है0का0 1044 विपिन सैनी थाना कोतवाली बेहट जनपद सहारनपुर

-प्रेस नोट-

दिनांकः- 30.04.2024

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर उत्तर प्रदेश

थाना चिलकाना, सहारनपुर पुलिस द्वारा 02 वांछित अभियुक्त गिरफ्तार

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में जनपद में अपराध नियन्त्रण एवं वांछित / वारन्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक नगर व क्षेत्राधिकारी सदर के निकट पर्यवेक्षण में तथा थानाध्यक्ष श्री कपिल देव के कुशल नेतृत्व मे थाना चिलकाना पुलिस टीम द्वारा थाना चिलकाना पर पंजीकृत **मु0अ0सं0—88/2024 धारा 147/149/353/336/323/504/506 भादवि व 7 सीएलए एक्ट** के वांछित अभियुक्तगण **1. तनवीर पुत्र आलिम निवासी ग्राम कातलाखुर्द थाना चिलकाना सहारनपुर 2. नैय्यर उर्फ इस्तखार पुत्र छोटन उर्फ इसरार निवासी ग्राम कातला खुर्द थाना चिलकाना सहारनपुर** को आज दिनाक 30.04.2024 को मुखबिर की सूचना पर बस अड्डा चिलकाना से कारण गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार अभियुक्तगण के विरूद्ध अन्य आवश्यक कार्यवाही करते हुए समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम पता:-

1. तनवीर पुत्र आलिम निवासी ग्राम कातलाखुर्द थाना चिलकाना सहारनपुर।
2. नैय्यर उर्फ इस्तखार पुत्र छोटन उर्फ इसरार निवासी ग्राम कातला खुर्द थाना चिलकाना सहारनपुर।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस पार्टी का नाम:-

1. उ0नि0 करन नागर थाना चिलकाना सहारनपुर ।
2. है0का0 1052 कुलदीप सिंह थाना चिलकाना सहारनपुर।
3. का0 2261 राजेन्द्र राणा थाना चिलकाना सहारनपुर।

-प्रेस नोट-

दिनांकः 30.04.2024

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर उत्तर प्रदेश

थाना सदर बाजार, सहारनपुर पुलिस द्वारा 02 शातिर अभियुक्त गिरफ्तार,कब्जे से 02 अदद चाकू/ छुरी नाजायज बरामद होना

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देशन मे जनपद में अपराध नियन्त्रण व शातिर अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक नगर के एवं क्षेत्राधिकारी नगर द्वितीय के निकट पर्यवेक्षण मे तथा प्रभारी निरीक्षक श्री संतोष कुमार त्यागी प्रभारी निरीक्षक थाना सदर बाजार के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 30.04.2024 को थाना सदर बाजार पुलिस टीम द्वारा चैकिंग/गस्त के दौरान 02 शातिर अभियुक्त **1.शुभम पुत्र विनोद निला, चन्द्रविहार कालौनी थाना कुतुबशेर 2. हिमान्शु उर्फ लल्लू पुत्र राजकुमार निवासी नन्द पुरी कालौनी थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर** को छोटी लाईन मस्जिद से पहले सडक पर गिरफ्तार किया गया। जिनके कब्जे से 02 चाकू नाजायज बरामद हुए। बरामदगी एवं गिरफ्तारी के आधार पर थाना सदर बाजार पर **मु0अ0सं0 249/24 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट** पंजीकृत किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तगण के विरूद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही करते हुए समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्तगणों ने पूछताछ पर एक स्वर में बताया कि हम ये चाकू अपने पास लोगों में दहशत बनाने के लिए रखते हैं।

अभियुक्त का नाम पताः-

1.शुभम पुत्र विनोद निवासी चन्द्रविहार कालोनी थाना कुतुबशेर सहारनपुर।

2. हिमान्शु उर्फ लल्लू पुत्र राजकुमार निवासी नन्द पुरी कालोनी थाना कुतुबशेर सहारनपुर।

बरामदगी का विवरणः-

02 चाकू नाजायज।

अभियुक्त हिमान्शु का आपराधिक इतिहास –

मु0अ0सं0 176/23 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर।

गिरफ्तार करने वाली टीम के नामः-

1. म0 उ0 नि0 शवेता शर्मा थाना सदर बाजार सहारनपुर।

2.का0 660 कपिल पवांर थाना सदर बाजार सहारनपुर।

3.का0 का0 2212 राजवीर राना थाना सदर बाजार सहारनपुर।